रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2015/श्रावण 9, 1937

No. 486] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2015/SHARVANA 9, 1937

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 607(अ).–प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को बनाने का प्रस्ताव करती है जिन्हें उक्त धारा की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम, इन प्रारूप नियमों के सरकारी राजपत्र की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने के 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी इच्छुक व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्ति या सुझाव, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली – 110011 को भेजे जा सकते हैं।

नियम

1. (1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2015 कहा जाएगा ।
   (2) ये शासकीय राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में,

(क) नियम 6 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"6 प्रवेश शुल्क– पंद्रह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति संरक्षित स्मारक या उसके किसी हिस्से में :–

(क) द्वितीय अनुसूची के भाग 1 में श्रेणी 'क' के रूप में निर्दिष्ट किसी भी संस्मारक में निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर प्रवेश नहीं कर सकते:–

(i) भारत के नागरिक, तथा सार्क देशों के पर्यटक (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका), बिमस्टैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैण्ड) और भारत के प्रवासी नागरिक– 30/–रू0 प्रति व्यक्ति,

(ii) अन्य .... 750/– रू. प्रति व्यक्ति;

(ख) निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर द्वितीय अनुसूची के भाग II में श्रेणी 'ख' के रूप में निर्दिष्ट स्मारकों में प्रवेश नहीं कर सकते :–

"(i) भारत के नागरिक, (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका), बिमस्टैक देशों के पर्यटक (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैण्ड) और भारत के प्रवासी नागरिक– 15/–रू0 प्रति व्यक्ति,

(पप) अन्य .... 300/– रू. प्रति व्यक्ति

(ख) नियम 44 में उप–नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः

(1) नियम 43 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर महानिदेशक शुल्क अदा किए जाने पर निम्नलिखित रूप में लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं:

(क) विश्व विरासत स्मारकों में फिल्म बनाने के लिए 50,000/– रू. प्रत्यर्पणीय सुरक्षा जमा सहित 1,00,000/– प्रति दिन;

(ख) दूसरे स्मारकों के लिए 10,000/–रू. प्रत्यर्पणीय सुरक्षा जमा सहित 50,000/–रू. प्रति दिनः

बशर्ते कि महानिदेशक, किसी भी संरक्षित स्मारक के अंदरूनी भागों को अर्थात् किसी संरक्षित स्मारक के किसी ऐसे भाग को जो किसी प्रकार के वर्णन वाली छत से आच्छादित हो, फिल्माए जाने के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन यदि फिल्म का उद्देश्य शिक्षाप्रद हो या स्मारक की लोकप्रियता को बढ़ाना हो, तो लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

[फा. सं. 9/3/2012–एम]

राकेश तिवारी, महानिदेशक

फुट नोट : प्रधान नियम, दिनांक 15 अक्तूबर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में का. आ. 2036 द्वारा पृ. 519–525 पर प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थेः

(i) संख्या का.आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966
(ii) संख्या सा.का.नि. 663 दिनांक 1 मई, 1967
(iii) संख्या का.आ. 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971
(iv) संख्या सा.का.नि. 90 दिनांक 30 जनवरी, 1991
(v) संख्या सा.का.नि. 306 दिनांक 10 जुलाई, 1996
(vi) संख्या सा.का.नि. 799 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
(vii) संख्या सा.का.नि. 800 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
(viii) संख्या सा.का.नि. 848 (अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000
(ix) संख्या का.आ. 10 (अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001
(x) संख्या सा.का.नि. 688 (अ) दिनांक 24 सितम्बर, 2001
(xi) संख्या सा.का.नि. 372 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003
(xii) संख्या सा.का.नि. 37 (अ) दिनांक 15 जनवरी, 2008 तथा
(xiii) संख्या सा.का.नि. 631 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2015

G.S.R.607(E).—The following draft of certain rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall come into force after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette of these draft rules, are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the Central Government;

Objections or suggestions may be sent to the Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi-110011.

Rules

1. (1)These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, (A) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. Entrance fee.— No person above the age of fifteen years shall enter into a protected monument or part thereof-

(a) specified as category 'A' monuments in Part I of the Second Schedule, except on payment of fees as under:-

(i) Citizens of India and visitors of SAARC countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), visitors of BIMSTEC Countries (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand,) and overseas citizens of India...... Rs. 30/- per head,

(ii) Others................ Rs. 750/- per head;

(b) Specified as Category 'B' monuments in Part II of the Second Schedule, except on payment of fees as under;

(i) Citizens of India and visitors of SAARC countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), visitors of BIMSTEC Countries (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand,) and overseas citizens of India...... Rs. 15/- per head;

(ii) Others................. Rs. 300/- per head;

(B) in rule 44 for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(1) on receipt of an application under rule 43, the Director General may grant a licence on payment of fees as under:

(a) for filming of World Heritage Monuments, Rs.1,00,000/- per day with Rs.50,000/- refundable security deposit;

(b) for other monuments, Rs.50,000/- per day with Rs.10,000/- refundable security deposit:

Provided that the Director General shall not grant any licence to film the interior of any protected monument, that is to say such part of any protected monument as is covered by a roof of any description, except when the film is for the purpose of education or of publicising the monument.

[F. No. 9/3/2012-M]

RAKESH TEWARI, Director General

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- Section (ii) *vide* S.O. 2036, dated the 15th October, 1959 at pages 519-525 and subsequently amended vide:-

(i) No. S.O. 3520 dated the 20th November, 1966,
(ii) No. GS.R. 663 dated the 1st May, 1967,
(iii) No. S.O. 935 dated the 16th February, 1971,
(iv) No. GS.R. 90 dated the 30th January, 1991,
(v) No. GS.R. 306 dated the 10th July, 1996,
(vi) No. GS.R. 799(E) dated the 17th October, 2000,
(vii) No. GS.R. 800(E) dated the 17th October, 2000,
(viii) No. G.S.R. 848(E) dated the 3rd November, 2000,
(ix) No. S.O. 10(E) dated the 5th January, 2001,
(x) No. GS.R. 688(E) dated the 24th September, 2001
(xi) No. GS.R. 372(E) dated the 30th April, 2003,
(xii) No. GS.R. 37(E) dated the 15th January, 2008, and
(xiii) No. GS.R. 631(E) dated the 13th August, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.